फार्म नं. – III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

न्यायालय जिला कलक्टर मुकाम अनूपगढ़

श्योपतराम **बनाम** स्टेट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नम्बर 85 वर्ष 2024

जी.सी.एम.एस. नं. : 2024/35

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
02.04.2024	अपीलार्थी श्योपतराम पुत्र मामराज की ओर से अधिवक्ता श्री सुशील गोदारा ने अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया हैं। अपीलार्थी अधिवक्ता की एडमिशन बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/राजस्व/2023/1725 दिनांक 08.11.2023 जिसके द्वारा पटवारी हल्का ठाकरी को स्मरण पत्र जारी कर चक ठाकरी ए के प.नं. 225/299 मु.नं. 29 की 6.200 है. बारानी भूमि पर नाजायज कब्जा के संबंध में जांच करते हुए वर्णित रकबा पर कौन–कौन व्यक्ति किस हैसियत से काबिज है तथा उक्त रकबा के संबंध में किसी न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण/स्थगन/विवाद आदि की रिपोर्ट भिजवाने हेतु पटवारी को निर्देशित किया गया हैं के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी हैं। धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत तहसीलदार द्वारा पारित मूल आदेश की अपील कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती हैं। प्रकरण में तहसीलदार द्वारा आदेश पारित न कर पटवारी हल्का से मौका रिकार्ड की स्थिति की रिपोर्ट अपेक्षा की गयी हैं। ऐसी स्थिति में तहसीलदार के पटवारी हल्का को लिखे गये पत्र दिनांक 08.11.2023 [illegible] नहीं होने से अपील अपीलार्थी ग्रहण किये जाने योग्य [illegible] है। अतःअपील एडमिशन स्तर पर खारिज की [illegible] गया। पत्रावली [illegible] सुना [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (अवधेश मीना) I.A.S. कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़ जिला कलक्टर अनूपगढ़	

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:43 IST
Reason: SelfAttested